संख्या-21/2016/535/चालीस-2016-बजट(09)/15

प्रेषक,

अशोक कुमार,

सचिव,

उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

मण्डलायुक्त,

बरेली।

राष्ट्रीय एकीकरण अनुभाग लखनऊः दिनांक 15 जुलाई, 2016

विषयः अन्तर्जातीय विवाहित दम्पत्ति को प्रोत्साहन पुरस्कार दिये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषय पर अन्तर्जातीय विवाहित दम्पत्ति को प्रोत्साहन पुरस्कार योजनान्तर्गत वर्ष 2012-13 में आवंटित धनराशि के सापेक्ष निर्गत चेक (काल बाधित) संख्या- 399555 एवं 399556 (रू0 10,000.00 प्रत्येक) के सापेक्ष रू0 20,000/- की वित्तीय स्वीकृति निर्गत किये जाने सम्बन्धी आपके पत्र संख्या-1688/पन्द्रह-19(2013-14), दिनांक 21 दिसम्बर, 2015 के सन्दर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि सम्यक विचारोपरान्त श्री राज्यपाल, उ0प्र0 अन्तर्जातीय/अन्तर्धार्मिक विवाहित दम्पत्ति को प्रोत्साहन प्रदान करने सम्बन्धी नियमावली, 1976 सपठित संशोधन विज्ञप्ति सं0-402/चालीस-10-(27)/2006, दिनांक 30 मार्च, 2010 में दी गई शर्तों के अधीन वित्तीय वर्ष 2016-17 के आय-व्ययक में अन्तर्जातीय विवाहित दम्पत्ति को प्रोत्साहन हेतु प्रावधानित धनराशि रू0 60,00,000/- के सापेक्ष अवशेष धनराशि में से रू0 20,000/-(रू0 बीस हजार मात्र) की धनराशि को स्वीकृत करते हुए आपके निवर्तन पर रखे जाने की सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं।

2- उक्त धनराशि उ0प्र0 अन्तर्जातीय/अन्तर्धार्मिक विवाहित दम्पत्ति को प्रोत्साहन देने की नियमावली, 1976 में दी गयी शर्तों/प्रतिबन्धों तथा शासन द्वारा समय-समय पर निर्गत संगत आदेशों के अधीन स्वीकृत की जा रही है।

3- उपर्युक्त व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2016-17 के आय-व्ययक की अनुदान सं0-53 के अधीन लेखाशीर्षक 2070-अन्य प्रशासनिक सेवायें-आयोजनेत्तर-800-अन्य व्यय-01-केन्द्रीय आयोजनागत/केन्द्र द्वारा पुरोनिधानित योजनायें-0102- अन्तर्जातीय विवाह जिसमें दम्पत्ति का एक सदस्य अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति का हो, प्रोत्साहित करने हेतु केन्द्र पुरोनिधानित योजनान्तर्गत नकद पुरस्कार (के.50 प्रतिशत + रा. 50 प्रतिशत)-20 सहायता अनुदान-सामान्य (गैर वेतन) के नामे डाला जायेगा।

4- स्वीकृत धनराशि का आहरण करने के पश्चात् उपयोगिता प्रमाण पत्र डी0डी0ओ0 शीट की प्रमाणित छाया प्रति के साथ लेखाधिकारी/लेखा मिलान प्रकोष्ठ, कार्यालय महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी)

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

प्रथम, उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद को प्रेषित करते हुए उसकी प्रति शासन को तत्काल उपलब्ध कराने का कष्ट करें।

5- यह आदेश वित्त विभाग द्वारा प्रशासकीय विभाग को प्रतिनिधानित अधिकारों के तहत जारी किये जा रहे हैं।

भवदीय,

(अशोक कुमार)
सचिव।

संख्या- 21/2016/535(1)/चालीस-2016-बजट(09)/15 तद्दिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः-

(1) महालेखाकार (लेखा परीक्षा) प्रथम/द्वितीय, उ0प्र0, इलाहाबाद।
(2) जिलाधिकारी, मेरठ ।
(3) प्रधान लेखाकार (लेखा एवं हकदारी) प्रथम/द्वितीय, उ0प्र0, इलाहाबाद।
(4) वरिष्ठ आडिट आफिसर (आडिट एवं प्लानिंग) कार्यालय, महालेखाकार (लेखा परीक्षा) प्रथम, सत्यनिष्ठा, भवन-15, नार्थ हिल रोड, इलाहाबाद।
(5) मुख्य कोषाधिकारी/ वरिष्ठ कोषाधिकारी, मेरठ ।
(6) वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1/ वित्त (व्यय-नियंत्रण) अनुभाग-9, उ0प्र0 शासन।
(7) गार्ड बुक/ बजट सहायक।

आज्ञा से,

(अशोक कुमार)
अनु सचिव।

http://shasanadesh.up.nic.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।